राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अजय बनाम लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/05/2018 पारित करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.12 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी के पूर्वहक़अधिकारी जगदीश नारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्य उचित प्रतीत होते है कि प्रतिवादी संख्या 1 के रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित रहे जगदीश नारायण की मृत्यु दावादायरी की दिनांक 08/11/2010 से पूर्व ही दिनांक 15/01/2008 को हो चुकी थी; ऐसे में मृत्तक जगदीश नारायण को मृत्यु उपरान्त पक्षकार वाद संयोजित किया जाकर वाद प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत जाहिर नही होता है एवं मृत्तक पक्षकार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री भी त्रुटीपूर्ण एवं विधिविरुद्ध होना सिद्ध होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में मृत्तक पक्षकार के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुती का समुचित अवसर देते हुए ही वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/05/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक पक्षकार जगदीश नारायण के विधिक वारिसान को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अजय बनाम लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/2019	निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/01/2026 को उपरोक्त विवेचन की अनुपालना में वाद में होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होवे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	